

उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-204 / 2024

श्री बिपिन चन्द्र तिवारी ,
इंडस टावर लिमिटेड,
भतरौजखान, भिकियासैण,
जिला- अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

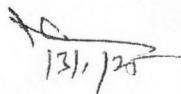
अधिशाली अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
भिकियासैण,
जिला- अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन खाता संख्या 40116951152 के सापेक्ष संयोजित भार 18 किलोवाट है। उन्होंने बताया कि उनका 30 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 तक, 352559 रीडिंग से 368159 रीडिंग तक, कुल 15600 यूनिट विद्युत उपभोग का बिल बना था जो की बहुत ज्यादा था। इसके पश्चात् 31 मई 2024 तक उपभोग से ज्यादा यूनिट के बिल निर्गत किये गये। इस अवधि में मीटर भी बदला गया। इसके पश्चात् 31.10.2024 तक रू0 1021417 का बिल निर्गत किया गया जिसमें क्लोजिंग रीडिंग 43225 दिखाई गयी। उन्होंने मई 2023 के पश्चात् निर्गत बिलों को ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 695 दिनांक 23.11.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, भिकियासैण, जिला-अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.11.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री राजेश मौर्य अधिशाली अभियन्ता से फोन पर बात की गयी। उन्होंने बताया की वादी का मीटर पहले अक्टूबर 2023 में खराब हुआ था जिसको माह जनवरी 2024 में बदला गया। उन्होंने बताया की मीटर पुनः अप्रैल 2024 में खराब हुआ जिसको माह मई 2024 में बदला गया। उन्होंने कहा की दो बार मीटर खराब अवधि में वादी के बिल आई.डी. एफ. आधार पर सिस्टम द्वारा जनरेट किए गये। उन्होंने इस बिलों को ठीक करने के लिए 15 दिन का समय मागा था। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वादी के बिल संशोधित




13/1/24



कर, 15 दिन के अंदर विस्तृत आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई की तिथि 26.12.2024 को नियत की गई थी।

नाटिका 24/2024

3. मंच की अगली सुनवाई दिनांक 26.12.2024 में वादी तथा अधिशासी अभियन्ता- विद्युत वितरण खण्ड भिकियासैण के अनुरोध पर यह प्रकरण उसके अगले दिन दिनांक 27.12.2024 को भतरौजखान उपभोक्ता शिविर में सुनवायी के लिए नियत किया गया था। जिसमें वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ था। विभाग के अनुरोध पर अगली सुनवायी तिथि दिनांक 13.01.2025 नियत की गयी।
4. मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 13.01.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी की तरफ से उपस्थित श्री गौतम कुमार AER ने बताया की वादी का मीटर पहले अक्टूबर 2023 में खराब हुआ था जिसको 16 जनवरी 2024 को बदला गया था। मीटर खराब की अवधि में वादी के बिल अक्टूबर 2023 से दिसम्बर 2023 (तीन महीने) आई.डी. एफ. आधार पर निर्गत किये गये थे। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2023 से पहले तीन बिलिंग साईकिल में वादी का औसत प्रतिमाह बिल रू0 28196 आता रहा है जिसके आधार पर उपरोक्त आई.डी.एफ. अवधि का बिल सिस्टम द्वारा संशोधित कर दिया गया। उन्होंने बताया की वादी का मीटर पुनः मार्च 2024 में खराब हुआ जिसको मई 2024 में बदला गया। इन दो महिनों में (मार्च 2024/अप्रैल 2024) वादी के बिल आई.डी.एफ. आधार पर निर्गत किये गये। इन दो महिनों के आई.डी.एफ. बिलों का संशोधन, मीटर खराब होने से पहले की तीन बिलिंग साईकिल के आधार पर, जब मीटर ठीक था, के अनुसार बिल संशोधित करना उचित रहेगा। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के आधार पर बिल संशोधित कर 7 दिन के अंदर वादी को संशोधित बिल उपलब्ध कराए तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

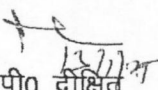
विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह खराब मीटर बदले जाने से पहले, सही मीटर के समय की रीडिंग का आधार पर, संशोधित बिल 07 दिन के अन्दर वादी को उपलब्ध कराये, तत्पश्चात् उपरोक्त पर अनुपालन आख्या, 10 दिन के अन्दर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

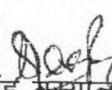
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

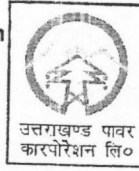
उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 13.01.2025


भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता


ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-216/2025

श्री डुंगर सिंह महारा पुत्र श्री स्व० प्रताप सिंह महारा,
ग्राम- खाँकर, पो०आँ०- जाँख,
जिला- अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला- अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

निर्णय

1. *वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या ए.आर 28422011789 के सापेक्ष उनका बिल प्रतिमाह पूर्व में औसतन 200-500 रु० आता था परंतु माह जनवरी 2025 में आर.डी.एफ. आधार पर यह रु० 6636 आया है। उन्होंने बिल ठीक कराने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 754 दिनांक 20.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, भिकियासैंण, जिला-अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.01.2025 में वादी की तरफ से उनके द्वारा दिये गये फोन० 9012347880 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान AER ने बताया की वादी का 6636 रु का बिल आर.डी.एफ आधार पर निर्गत किया गया था जिसे वास्तविक रीडिंग के आधार पर अब रु० 856 संशोधित कर दिया गया है। वादी को फोन पर उपरोक्त कि जानकारी दी गयी जिस पर वादी ने संशोधित बिल रु० 856 पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

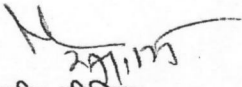
आदेश

विभाग द्वारा वादी का बिल आर.डी.एफ आधार से वास्तविक रीडिंग पर, 6636 रू0 से 856रू0 संशोधित कर दिया गया है जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

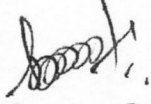
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 27.01.2025



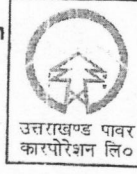
ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी



बी0 एस0 बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता



चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-190/2024

श्री चन्दन सिंह,
निवासी- गधोली, पो0ऑ0 – पिलखा,
अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर 17721972371 के सापेक्ष नवंबर 2020 में मीटर लगा था। उन्होंने अंतिम बिल 3500 रु0 का दिनांक 21.08.2023 में जमा किया था। इसके पश्चात् बीच में स्वास्थ्य खराब होने की बजह से बिल जमा नहीं हो पाये और बिल एकाएक 17781 रु0 आ गया। इसके पश्चात् 38166.50 रु0 का बिल आया। उन्होंने बताया कि उनके अनुरोध पर चैक मीटर लगाया गया था जिसमें 44 प्रतिशत का अंतर पाया गया और बिल 53601 रु0 का हो गया। उन्होंने बिल ठीक कराने के लिए अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 637 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 10.09.2024 में वादी की तरफ से श्रीमती हेमा कनवाल पत्नी श्री चन्दन सिंह, वादी तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि वादी के परिसर पर दिनांक 20.01.2024 को चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर 44 प्रतिशत तेज पाया गया था जिसके सापेक्ष रु0 6309.65 का समायोजन कर दिया गया। वादी का कहना था कि उनके घर लगे कुछ बल्ब तथा एक गीजर का इतना बिल आना संभव नहीं है। विभाग को निर्देशित किया गया था की वादी के परिसर का स्थलीय

04/10/2024

निरीक्षण कर स्वीकृत भार के सापेक्ष कनेक्टेड लोड का विवरण प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक— 04.10.2024 नियत की गयी थी।

3. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 04.10.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता-राजस्व ने बताया कि वादी का स्थलीय निरीक्षण करने पर स्वीकृत भार एक किलोवाट के सापेक्ष कनेक्टेड लोड 4.320 किलोवाट पाया गया। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक— 25.10.2024 नियत की गयी थी।
4. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 25.10.2024 में वादी की तरफ से श्रीमती हेमा कनवाल पत्नी श्री चन्दन सिंह, वादी तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए जिसमें विभाग को निर्देशित किया गया था कि डंप रीडिंग को समुचित अवधि में वितरित कर तथा नए मीटर के आधार पर पुरानी अवधि का बिल संशोधन कर अपनी आख्या 13.11.2024 तक प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक— 13.11.2024 नियत की गयी थी।
5. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 13.11.2024 में वादी की तरफ से श्रीमती हेमा कनवाल पत्नी श्री चन्दन सिंह, वादी तथा विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि चैक मीटर के आधार पर मेन मीटर के 44 प्रतिशत तेज चलने पर दिनांक 12.09.2023 से दिनांक 19.12.2023 तक ₹0 3609.65 तथा नए मीटर के आधार पर दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 2337 यूनिट का समायोजन करने के पश्चात् अक्टूबर 2024 तक का बिल 55457 ₹0 बना है जिस पर वादी ने अपनी असहमती व्यक्त की है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि उतारे गये मीटर की एम.आर.आई कराकर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करें।
6. मंच की अन्तिम सुनवाई दिनांक 27.01.2025 में वादी की तरफ से श्रीमती हेमा कनवाल पत्नी श्री चन्दन सिंह, वादी तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि वादी का मीटर विभाग की परीक्षण प्रयोगशाला में एम.आर.आई के लिए भेजा गया था। परंतु एम.आर.आई. नहीं हो पायी। इसके बाद मीटर को मीटर मैक कम्पनी-स्नाइडर में भेजा गया जिसकी एम.आर.आई रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के अनुसार हर महीने विद्युत उपभोग रिकार्ड हुआ है। उन्होंने बताया कि वादी का मीटर 44 प्रतिशत तेज पाये जाने के सापेक्ष ₹0 6309.65 का क्रेडिट दिया जा चुका है और वादी का बिल अद्यतन ₹0 59393 बना है जो सही है और देय है। इस पर वादी ने कहा है कि वह इतना बिल एकमुश्त जमा करने में असमर्थ है तथा उन्हें बिना एल.पी.एस.सी तथा बिना ब्याज राशि के किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाए। वादी ने बिलिंग हिस्ट्री देने के लिए अनुरोध किया है जिस पर एक प्रतिलिपि वादी को उपलब्ध करा दी गयी है।

10/11/25

27/11/25

27/11/25

आदेश

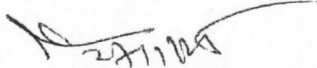
प्रकरण में चैक मीटर से मैन मीटर के 44 प्रतिशत तेज चलने के सापेक्ष क्रेडिट देने के पश्चात् तथा मीटर की एम.आर.आई के विश्लेषण के आधार पर अद्यतन रू0 59393 का बिल संशोधित हुआ है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी के निवेदन पर एल.पी.एस.सी रहित तथा ब्याज रहित राशि में से रू0 20000 का भुगतान इस महीने लिया जाए तथा अवशेष राशि को करेंट बिल के साथ, प्रतिमाह समान 8 किश्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाए।

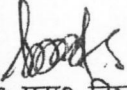
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

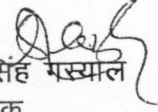
इस प्रकरण में वादी के परिसर पर पहले चैक मीटर के द्वारा मैन मीटर चैक किया गया। इसके बाद उतारे गये मीटर की एम.आर.आई. विभागीय प्रयोगशाला में न होने के कारण, मीटर की एम.आर.आई. मीटर मेक कम्पनी की प्रयोगशाला में कराने में समय लगने के कारण वाद का निस्तारण निर्धारित अवधि- 60 दिन में नहीं हो सका।

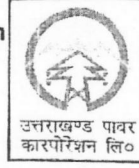
उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 27.01.2025


ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी


बीओ एसओ बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता


चामू सिंह
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-219/2025

श्री चन्दन सिंह बिष्ट,
ग्राम- दियारी, पोओ- धौलछीना,
जिला- अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला- अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या ए.आर 11315028296 के सापेक्ष उनका बिल रु0 9000 निर्गत हुआ है जिसे ठीक करने के लिए विभाग के अल्मोड़ा कार्यालय में 1000 रु0 की रिश्वत मागी जाती है। उन्होंने इसकी जाँच करने तथा इस तरह की सूचना देने के लिए एक अलग हैल्पलाईन के लिए राय दी है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 757 दिनांक 22.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, भिकियासैण, जिला-अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.01.2025 में वादी की तरफ से उनके द्वारा दिये गये फोन 8860400605 पर सुनवाई की गयी। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान AER ने बताया की वादी का 9136 रु का बिल आर.डी.एफ आधार पर निर्गत किया गया था जिसे वास्तविक रीडिंग के आधार पर अब रु0 530 संशोधित कर दिया गया है। वादी को फोन पर उपरोक्त कि जानकारी दी गयी जिस पर वादी ने संशोधित बिल रु0 530 पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

आदेश

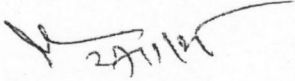
विभाग द्वारा वादी का बिल आर.डी.एफ आधार से वास्तविक रीडिंग पर, 9136 रू0 से 530 रू0 संशोधित कर दिया गया है जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

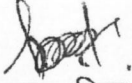
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

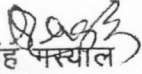
विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता कि वह गलत बिलों को ठीक करने के लिए विभाग के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मागे जाने के प्रकरण की अपने स्तर पर जाँच कर उचित कार्यवाही करें।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक – 27.01.2025


ओपी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी


बी0 एस0 बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता


चामू सिंह भस्थील
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-188 / 2024

श्री बची सिंह,
निवासी- भागादेवली, मोतियापाथर,
अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर 2840919863 के सापेक्ष उनका बिल पूर्व में रू0 200-300 आता था तथा उनके द्वारा उपभोग की गई यूनिट 2200 थी। लेकिन वर्तमान में रीडिंग एकाएक 6498 यूनिट आ गई जो कि बहुत ज्यादा है। वर्तमान में उनका बिल 15500 रू0 का आया है जो कि पहले आए हुए बिलों से बहुत अधिक है। उन्होंने उपरोक्त गलत बिलों की जांच कर इनको संशोधित करने के लिये अनुरोध किया है जिससे वह अपने बिल को जमा कर सकें।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 635 दिनांक 28.08.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 10.09.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी ने सूचित किया कि वह किसी आवश्यक कार्य की वजह से मंच के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है। उन्होंने अगली सुनवाई तिथि देने का अनुरोध किया था। प्रतिवादी की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व ने बताया कि यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है, जिसमें संशोधन के बाद अगस्त 2024 तक का बिल रू0 21717 बनता है।

विभाग ने बताया कि अगर उपभोक्ता मीटर को चैक कराना चाहते हैं तो वह मीटर टेस्टिंग फीस रु0 118 जमा कराकर मीटर चैक करा सकते हैं। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक- 04.10.2024 नियत की गयी थीं।

3. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 04.10.2024 में वादी की तरफ से उनकी भतीजी सुश्री पूजा अधिकारी उपस्थित हुई। उन्होंने बताया कि उनका बिल पहले रु0 200 के आस-पास आता था, जो कि 2200 यूनिट से बढ़कर 6498 यूनिट का बनकर रु0 15500 आया है। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता-राजस्व ने बताया कि वादी का जून 2024 में 2288 यूनिट से बढ़कर अगस्त 2024 में 4616 यूनिट आया है। यह प्रकरण डंप या जंप रीडिंग से संबंधित हो सकता है जिसका विभाग द्वारा चैक मीटर लगाकर तथा मीटर की एम.आर.आई. कराकर विशलेषण करना है। वादी द्वारा रसीद संख्या 34493041024241-010446/1 दिनांक 04.10.2024 के द्वारा चैक मीटर के लिए रु0 118 जमा किये गए। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह 10 दिन के अंदर चैक मीटर लगाकर अगले 10 दिन के आधार पर मेन मीटर की सत्यता की जाँच करें, और 15 दिन के अंदर मीटर की एम.आर.आई. कराकर चैक मीटर की रिपोर्ट के साथ मंच के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक- 25.10.2024 नियत की गयी थीं।
4. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 25.10.2024 में वादी की तरफ से उनकी भतीजी सुश्री पूजा अधिकारी उपस्थित हुई। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व ने बताया कि मीटर की शॉटेज की वजह से चैक मीटर आज ही लग पाया है। विभाग को पुनः निर्देशित किया गया था कि 10 दिन के अंदर चैक मीटर के द्वारा मेन मीटर की सत्यता की जाँच तथा मीटर की एम.आर.आई. के साथ विस्तृत आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक- 13.11.2024 नियत की गयी थीं।
5. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 13.11.2024 में वादी की तरफ से उनकी भतीजी सुश्री पूजा अधिकारी उपस्थित हुई। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय ने दिसंबर 2023 के बाद की एम.आर.आई. प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि दिनांक 25.10.2024 को विभाग ने चैक मीटर लगाया था, जिसको 08.11.2024 को उतारा गया और जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया। वादी का कहना है कि उनका परिसर सिर्फ 2 कमरों का है और जून 2024 में 2288 यूनिट का बिल आना उचित नहीं है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि मीटर की दिनांक 23.12.2023 से पहले की एम.आर.आई. कराकर व परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक भार के साथ विस्तृत आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक- 27.11.2024 नियत की गयी थीं।

13/11/24

6. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.11.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व ने बताया कि मंच के निर्देशानुसार वादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें कनेक्टेड भार 0.367 किलोवाट पाया गया। विभाग ने बताया कि वादी के मीटर की एम.आर.आई. की गयी, जिसमें 08.11.2024 को 6562.8 किलोवाट आवर रीडिंग पायी गयी। इससे स्पष्ट है कि यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है। विभाग ने बताया कि डंप रीडिंग जो कि 29.03.2024 से 24.06.2024 तक दर्शायी गयी है, का बिल दिनांक 22.12.2022 से 24.08.2024 तक संशोधित किया गया, जो कि रू0 21717 बना है। वादी की प्रतिनिधि सुश्री पूजा अधिकारी से उनके द्वारा दिय गये फो0 नं0 9917162538 पर सुनवायी की गयी। उन्होंने बताया कि वादी हमेशा से दो महीने का बिल रू0 200-300 जमा करते रहे हैं और एकाएक विभाग द्वारा 21717 का बिल आना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि बिल का पुनः निरीक्षण करें। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक- 11.12.2024 नियत की गयी थीं।
7. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 11.12.2024 में वादी की तरफ से उनकी भतीजी सुश्री पूजा अधिकारी उपस्थित हुई। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। वादी को उनके दिये गये फॉ0 नं0 पर वार्ता की गई उनके द्वारा कहा गया कि वह एक गरीब व्यक्ति हैं और इतना बिल देने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि वह अग्रिम तिथि को मंच के समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं। मंच द्वारा उनकी बात को स्वीकार करते हुए, अगली सुनवाई की तिथि 26.12.2024 नियत की गयी थीं।
8. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 26.12.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि वादी का बिल फरवरी 2023 से पहले बी.पी.एल. श्रेणी में आता था तथा इसके बाद इसके 60 यूनिट प्रति महीने से अधिक होने के कारण ये ए.पी.एल श्रेणी में आयेगा। अगली सुनवाई की तिथि 13.01.2025 नियत की गयी थीं।
9. मंच की अन्तिम सुनवाई दिनांक 13.01.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय ने बताया कि वादी का बिल 04.09.2024 तक 30865 रू0 का था जिसमें रू0 9148 डंप रीडिंग अवधी को लाभ देते हुए, दिसम्बर 2024 तक का बिल रू0 22597 बना है जो कि सही है। वादी ने पहले कहा था वह एक वरिष्ठ बिमार नागरिक हैं तथा उनके पास रोजी रोटी के लिए भी मारामारी है। उन्होंने 1000 रू0 प्रतिमाह किशतों के रूप में जमा करने के लिए अनुरोध किया था। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह बिना एल.पी.एस.सी के संशोधित बिल निर्गत करें और वादी को प्रतिमाह रू0 1000 किशतों के साथ करेंट बिल का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करें।

13/1/25

13/1/25

13/1/25

आदेश

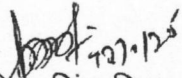
यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है जिसमें विभाग द्वारा बिल का संशोधन कर दिया गया है। अब यह बिल रू0 30865 से संशोधित होकर रू0 22597 बना है जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टी व्यक्त की है। वादी के अनुरोध पर विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिल को 1000 रू0 प्रतिमाह की किश्तों में करेंट बिल के साथ भुगतान करने की वादी को सुविधा प्रदान की जाए।

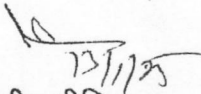
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

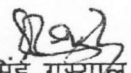
इस प्रकरण में वादी द्वारा अगली सुनवायी तिथि के निवेदन, चैक मीटर की अनुपलब्धता तथा मीटर की एम.आर.आई करने में बिलम्ब के कारण यह वाद निर्धारित 60 दिन की अवधि में निस्तारित नहीं हो सका।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 13.01.2025


भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता


ओ०पी० दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक